सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ, 1942 (श०)

संख्या-85 राँची, सोमवार, 1 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

18 जनवरी, 2021

आदेश सं0-5/आरोप-1-35/2020 का०- 279--श्री विजय कुमार गुप्ता, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-730/03, गृह जिला- भागलपुर), अपर समाहर्त्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, बोकारो के विरूद्ध अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के पत्रांक-313 दि0 04.06.2020 द्वारा COVID-19 महामारी के संक्रमण काल में प्राप्त शिकायत एवं उन पर की जाने वाली सुनवाई व तद्नुरूप झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन में शिथिलता बरतने का आरोप प्रतिवेदित किया गया

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-3042 दि0 02.07.2020 द्वारा श्री गुप्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गई। इसके अनुपालन में श्री गुप्ता द्वारा अपने पत्रांक-1656 दि0 07.07.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा COVID-19 संक्रमण काल में प्रेषित प्रतिवेदनों में कुछ विलम्ब होने के लिए खेद व्यक्त किया गया है एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-4158 दि0 27.08.2020 द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची से मंतव्य की मांग की गई। झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के पत्रांक-485 दिनांक 26.08.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें अपर समाहर्त्ता-सह-जिला शिकायत निवारण

पदाधिकारी, बोकारो द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण से संतुष्ट होते हुए उन्हें आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गई है।

अतः समीक्षोपरांत, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री विजय कुमार गुप्ता, झा0प्र0से0, अपर समहर्त्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, बोकारो को इस मामले में आरोप मुक्त करते हुए इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 85 -- 50